न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 98/2021

धर्मवीर पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट, निवासी मैनाना, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
— अपीलान्ट—

—बनाम—

सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना, जिला झुन्झुनू।
—रेस्पोडेन्ट—

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम धर्मवीर अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 165/2021 निर्णय दिनांक 13.08.2021

उपस्थिति :—
1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता ——————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ———— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— निर्णय — दिनांक 30.05.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.08.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम धर्मवीर मुकदमा नम्बर 165/2021 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है — कि राजस्व ग्राम मैनाना तहसील बुहाना में जमीन हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में अपीलान्ट के विरूद्ध तथाकथित रूप से 100 वर्गमीटर भूमि पर फाड़ लगाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने दिनांक 13.08.2021 को बेदखल करने के आदेश पारित किये है। जबकि अपीलान्ट ने उक्त विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है। भूमि हाल खसरा नम्बर 357 रकबा 1.76 हैक्टर अपीलान्ट व अन्य की सहखातेदारी की भूमि है। जो विवादित भूमि से सटकर है। अदालत मातहत ने बिना विधिवत जांच किये अपीलान्ट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी माना है। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर फाड़ लगने से अतिक्रमण नही माना जा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested
अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

सकता है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट के विपरित खातेदार ने अतिक्रमण कर रखा है। जिसके विरूद्ध अदालत मातहत ने जानबूझकर कोई कार्यवाही नही की है। कानून से अपीलान्ट व उसके विपरित खातेदार श्रीचन्द दोनों की जमीन की नपति करनी चाहिए थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि राजस्व ग्राम मैनाना तहसील बुहाना में जमीन हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में अपीलान्ट के विरूद्ध तथाकथित रूप से 100 वर्गमीटर भूमि पर फाड़ लगाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने दिनांक 13.08.2021 को बेदखल करने के आदेश पारित किये है। जबकि अपीलान्ट ने उक्त विवादित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है। भूमि हाल खसरा नम्बर 357 रकबा 1.76 हैक्टर अपीलान्ट व अन्य की सहखातेदारी की भूमि है। जो विवादित भूमि से सटकर है। अदालत मातहत ने बिना विधिवत नपति के अपीलान्ट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी माना है। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर फाड़ लगने से अतिक्रमण नही माना जा सकता है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट के विपरित खातेदार ने अतिक्रमण कर रखा है। जिसके विरूद्ध अदालत मातहत ने जानबूझकर कोई कार्यवाही नही की है। कानून से अपीलान्ट व उसके विपरित खातेदार श्रीचन्द दोनों की जमीन की नपति करनी चाहिए थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने मौजा ग्राम मैनाना पटवार हल्का मैनाना के हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 0.99 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 100 वर्गमीटर भूमि पर फाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत समुचित अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने विवादित भूमि के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा/अतिक्रमण वैध साबित होता हो। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2021 उनवानी सरकार बनाम धर्मवीर मुकदमा नम्बर 165/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.31 11:19:24 IST
Reason: SelfAttested